भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-376
बुधवार, 06 फरवरी, 2019/17 माघ, 1940 (शक)

सकल घरेलू उत्पाद (जी॰डी॰पी॰) में वृद्धि के
कारण रोजगार में वृद्धि

376. श्रीमती कान्ता कर्दमः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत चार वर्षों के दौरान, सकल घरेलू उत्पाद (जी॰डी॰पी॰) वृद्धि की तुलना में रोजगार में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विगत चार वर्षों के दौरान, उद्यमों की उत्पादकता में स्पष्ट वृद्धि हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत चार वर्षों के दौरान, उत्तर प्रदेश में जिले-वार रोजगार के कितने अवसर प्रदान किए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) एवं (ख): श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार एवं बेरोजगारी पर आयोजित किए गए उपलब्ध श्रम बल सर्वेक्षणों के परिणामों के अनुसार, 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों हेतु सामान्य प्रमुख एवं सहायक स्थिति (यूपीएसएस) दृष्टिकोण पर आधारित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) का अनुमान 2012-13 में 51.0%, 2013-14 में 53.7% एवं 2015-16 में 50.5% था। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी अनुमान के अनुसार, देश स्थाई कीमतों (आधार वर्ष 2011-12) में सकल घरेलू उत्पाद के अनुसार वृद्धि दर 2012-13, 2013-14 एवं 2015-16 के दौरान क्रमशः 5.5%, 6.4% एवं 8.2% थी।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार इस दिशा में पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। इन प्रमुख योजनाओं के माध्यम से सृजित किए गए रोजगार के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

सृजित रोजगार				
योजनाएं/वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
पीएमईजीपी के तहत सृजित अनुमानित रोजगार (व्यक्ति लाख में)	3.23	4.08	3.87	3.12 (31.12.18 तक)
एमजीएनआरईजीएस के तहत सृजित मानव दिवस (करोड़ में)	235.14	235.65	234.22	209.40 (30/01/19 तक)
डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत प्रशिक्षण के उपरांत नियोजित अभ्यर्थी (लाख में)	1.09	1.48	0.76	1.05 (10.01.19 तक)
डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षित व्यक्तियों का नियोजन (लाख में)	3.37	1.52	1.15	1.07 (23/01/19 तक)

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत लघु/सूक्ष्म व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 25 जनवरी, 2019 तक कुल 15.59 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई है। इस योजना के तहत, सरकार सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु तीन वर्षों के लिए ईपीएफ एवं ईपीएस के नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है। 28.01.2019 तक, इस योजना के अंतर्गत 1.30 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 1.05 करोड़ कर्मचारियों को लाभांवित किया गया है।

(ग): उत्तर प्रदेश में रोजगार अवसरों की संख्या पर जिला-वार आंकड़े केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

*****